रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 420] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 18, 1996/आषाढ़ 27, 1918
No. 420] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 18, 1996/ASADHA 27, 1918

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बीमा प्रभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1996

का. आ. 521 (अ).—केंद्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1975 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) संशोधन स्कीम,1996 है ।

(2) इसमें आगे जैसा अन्यथा उपदर्शित है, उसके सिवाय, यह स्कीम 1 अगस्त, 1992 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

2. साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1975 में (जिसे इसमें आगे "उक्त स्कीम" कहा गया है) पैरा में, उप-पैरा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उप-पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(7) प्रत्येक अधिकारी का वेतन और भत्ते आठवीं अनुसूची के अनुसार होंगे, और उस तारीख से प्रभावी होंगे, जो नीचे प्रत्येक मद के सामने उल्लिखित तारीख से पूर्व की तारीख नहीं है :—

	मद	प्रभावी तारीख
(क)	पुनरीक्षित वेतनमान पर मकान किराया भत्ता	1-8-1992
(ख)	वेतनमान और महंगाई भत्ता (तथापि, मकान किराया भत्ता 1-8-1992 को काल्पनिक रूप से पुनरीक्षित मूल वेतन के आधार पर संदेय होगा)	1-4-1993
(ग)	नगर प्रतिकरात्मक भत्ता	1-8-1993
(घ)	भविष्य निधि	1-11-1993
(ङ)	कंप्यूटर वेतनवृद्धि/नियत वैयक्तिक भत्ता	1-11-1993
(च)	सवारी भत्ता	1-8-1994
(छ)	आठवीं अनुसूची के अनुसार वेतनमानों पर आधारित उपदान	1-8-1994

परन्तु यह कि अधिकारी यह विकल्प कर सकेगा कि उसका वेतन ऐसी किसी तारीख से, जो 1 अगस्त, 1992 से पूर्व की तारीख नहीं होगी और तत्पश्चात् इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख से, जिस दशा में वह ऐसे विकल्प की सूचना इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर लिखित रूप में निगम या कंपनी को देगा ऐसी और अवधि से, जो

निगम के प्रबंध निदेशक या कंपनी के अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक द्वारा अनुज्ञात की जाए, आठवीं अनुसूची के निबंधनों के अनुसार नियत किया जाए :

परंतु यह और कि इस प्रकार किए गए विकल्प की तारीख से पहले की अवधि के लिए ऐसे अधिकारी को कोई बकाया संदेय नहीं होगा :

परंतु यह भी कि मूल वेतन और महंगाई भत्ते के संबंध में अधिकारी को 1 अगस्त, 1992 से 31 मार्च, 1993 की अवधि के लिए कोई बकाया संदेय नहीं होगा ।

3. उक्त स्कीम के पैरा 9 में, अन्त में निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण:—इस पैरा के प्रयोजनों के लिए 'मूल वेतन धन वैयक्तिक वेतन, यदि कोई हो' पद की निम्नलिखित के लिए गणना की जाएगी :—

(i) सातवीं अनुसूची के अनुसार 1 अगस्त, 1992 से आरंभ होने वाली और 31 अक्तूबर, 1993 को समाप्त होने वाली अवधि ; और

(ii) आठवीं अनुसूची के अनुसार 1 नवम्बर, 1993 से आरंभ होने वाली अवधि ।"

4. पैरा 10 में, अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण:—पैरा 10 के उपबंधों के प्रयोजन के लिए आठवीं अनुसूची की मद 1 में उल्लिखित वेतनमान 1 अगस्त, 1994 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।"

5. उक्त स्कीम में, सातवीं अनुसूची के पश्चात् निमनलिखित अनुसूची अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

आठवीं अनुसूची

(पैरा 4 देखिए)

1. वेतनमान (मूल वेतन) :

(1) महाप्रबंधक

12,650-300-13,250-350-13,600-400-14,000 रुपये

(2) सहायक महाप्रबंधक

11,450-300-12,650 रुपये

(3) प्रबंधक

10,450-250-11,450 रुपये

(4) उप-प्रबंधक

8,970-230-9,200-250-10,450 रुपये

(5) सहायक प्रबंधक

7,360-230-9,200-250-9,950 रुपये

(6) प्रशासनिक अधिकारी

5,980-230-8,970 रुपये

(7) सहायक प्रशासनिक अधिकारी

4,250-230-4,940-350-5,290-230-8,510 रुपये

2. मूल वेतन का नियतन

सहायक प्रशासनिक अधिकारी		प्रशासनिक अधिकारी		सहायक प्रबंधक		उप-प्रबंधक		प्रबंधक		सहायक महाप्रबंधक		महाप्रबंधक	
क्र.सं.	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन
1.	2100	4250	2940	5980	3660	7360	4520	8970	5350	10450	5950	11450	6400	12650
2.	2200	4480	3060	6210	3780	7590	4650	9200	5500	10700	6100	11750	6550	12950
3.	2340	4710	3180	6490	3900	7820	4780	9450	5650	10950	6250	12050	6700	13250
4.	2460	4940	3300	6670	4020	8050	4910	9700	5800	11200	6400	12350	6850	13600
5.	2580	5290	3420	6900	4140	8280	5050	9950	5950	11450	6550	12650	7000	14000
6.	2700	5520	3540	7130	4260	8510	5200	10200						
7.	2820	5750	3660	7360	4390	8740	5350	10450						
8.	2940	5980	3780	7590	4520	8970								
9.	3060	6210	3900	7820	4650	9200								

सहायक प्रशासनिक अधिकारी		प्रशासनिक अधिकारी		सहायक प्रबंधक		उप-प्रबंधक		प्रबंधक		सहायक महाप्रबंधक		महाप्रबंधक	
क्र.सं.	विद्य-मान मूल वेतन	पुनरी-क्षित मूल वेतन	विद्य-मान मूल वेतन	पुनरी-क्षित मूल वेतन	विद्य-मान मूल वेतन	पुनरी-क्षित मूल वेतन	विद्य-मान मूल वेतन	पुनरी-क्षित मूल वेतन	विद्य-मान मूल वेतन	पुनरी-क्षित मूल वेतन	विद्य-मान मूल वेतन	पुनरी-क्षित मूल वेतन	विद्य-मान मूल वेतन	पुनरी-क्षित मूल वेतन
10.	3180	6440	4020	8050	4780	9450								
11.	3300	6670	4140	8280	4919	9700								
12.	3420	6900	4260	8510	5050	9950								
13.	3540	7130	4390	8740										
14.	3660	7360	4520	8970										
15.	3780	7590												
16.	3900	7820												
17.	4020	8050												
18.	4140	8280												
19.	4260	8510												

टिप्पणी: उपरोक्त सारणी में विद्यमान मूल वेतन पर से सातवीं अनुसूची के अनुसार यथा लागू मूल वेतन अभिप्रेत है ।

III मंहगाई भत्ता :

(1) अधिकारियों को लागू महंगाई भत्ते का मापमान निम्नलिखित के अनुसार अवधारित किया जाएगा :—

सूचकांक : औद्योगिक कर्मकारों के संबंध में अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ।

आधार वर्ष : 1960 =100

मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण :—मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण प्रत्येक 4 प्वांइट की वृद्धि या गिरावट के लिए तिमाही आधार पर किया जा सकेगा।

मंहगाई भत्ते की दर :—1148 अंकों से अधिक तिमाही औसत में प्रत्येक अंकों के लिए, मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर परिकलित किया जाएगा :—

मूल वेतन	प्रत्येक 4 प्वांइट के लिए मंहगाई भत्ते की दर
4,800 रु. तक	मूल वेतन का 0.35 प्रतिशत
4,801 से 7700 रु. तक	800 रु. का 0.35 प्रतिशत धन मूल वेतन का 0.29 प्रतिशत 800 रु. से अधिक
7701 रु. से 8200 रु. तक	800 रु. का 0.35 प्रतिशत धन 800 रु. और 7700 रु. के बीच के अंतर का 0.29 प्रतिशत धन 7700 रु. और 8200 रु. के बीच का अंतर धन 8200 रु. से अधिक मूल वेतन का 0.09 प्रतिशत
8201 रु. और अधिक	800 रु. का 0.35 प्रतिशत धन 800 रु. और 7700 रु. के बीच के अंतर का 0.29 प्रतिशत धन 7700 रु. और 8200 रु. के बीच के अंतर का 0.17 प्रतिशत धन 8200 रु. से अधिक मूल वेतन का 0.09 प्रतिशत ।

(2) अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की साप्ताहिक औसत में (जिसे इसमें आगे 'वर्तमान औसत आंकड़ा' कहा गया है) 1148-1152-1156-1160 और इसी प्रकार के क्रम में 1148 अंकों के ऊपर प्रत्येक चार प्वाइंट की वृद्धि के लिए संदेय महंगाई भत्ता का ऊपर की ओर पुनरीक्षण किया जाएगा और यदि वर्तमान औसत आंकड़ा उपरोक्त क्रम में सूचकांक आंकड़े में चार प्वाइंट की गिरावट आती है, जिसके लिए पिछली पूर्ववर्ती तिमाही में मंहगाई भत्ते का संदाय किया गया है, तो मंहगाई भत्ते का नीचे की ओर पुनरीक्षण किया जाएगा । नीचे की ओर पुनरीक्षण पर, संदेय मंहगाई भत्ता वर्तमान औसत आंकड़े के तत्समान होगा, यदि वर्तमान औसत आंकड़ा उपरोक्त क्रम में एक आंकड़ा है; और संदेय मंहगाई भत्ता आगामी पूर्ववर्ती वर्तमान औसत आंकड़े में उपरोक्त क्रम में आंकड़े के तत्समान होगा, यदि ऐसा वर्तमान औसत आंकड़ा उपरोक्त क्रम में आंकड़ा नहीं है ।

(3) इस प्रयोजन के लिए, तिमाही से मार्च, जून, सितंबर या दिसंबर के अंतिम दिन को समाप्त होने वाली तीन मास की अवधि अभिप्रेत है ।

(4) इंडियन लेबर जर्नल या भारत का राजपत्र, जो भी प्रकाशन पहले उपलब्ध हो, में यथा प्रकाशित अंतिम सूचकांक आंकड़े, वह सूचकांक आंकड़ा होगा, जिसे मंहगाई भत्ते के परिकलन के प्रयोजन के लिए लिया जाएगा ।

(5) किसी विशिष्ट तिमाही के लिए वर्तमान औसत आंकड़े में

परिवर्तनों के तत्समान मंहगाई भत्ते में पुनरीक्षण उस तिमाही की समाप्ति के आगामी दूसरे वर्ष से ही प्रभावी होगा ।

IV. मकान किराया भत्ता :

(1) मकान किराया भत्ता 875 रुपये प्रतिमास के अधीन रहते हुए, मूलवेतन के 12.5 प्रतिशत की दर पर अधिकारियों को संदेय होगा ।

(2) ऐसे अधिकारी, जिन्हें निगम का कंपनी द्वारा निवास-स्थान आबंटित किए गए हैं, उन वास सुविधाओं के लिए ऐसी समुचित लाइसेंस फीस का संदाय करेंगे, जो निगम या कंपनी द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जाए और वे उपरोक्त मद की उप-मद (1) के निबंधनों के अनुसार मकान किराया भत्ते के लिए हकदार नहीं होंगे ।

V. नगर प्रतिकरात्मक भत्ता :

1-8-1992 से 31-7-1993 की अवधि के दौरान अधिकारियों को संदेय नगर प्रतिकरात्मक भत्ते के मापमानों का संदाय सातवीं अनुसूची के अनुसार उसी रीति में और उसी सीमा तक किया जाएगा ।

1-8-1993 से, अधिकारियों को संदेय नगर प्रतिकरात्मक भत्ते का मापमान निम्नलिखित के अनुसार होगा :—

तैनाती का स्थान	दर
(क) 12 लाख से अधिक आबादी वाले नगर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नौएडा, गुड़गांव, काशी, गांधी नगर और गोवा राज्य के किसी नगर में	335 रुपये प्रति मास की अधिक सीमा के अधीन रहते हुए, मूल वेतन का 4.5 प्रतिशत
(ख) 5 लाख से अधिक किन्तु 12 लाख से अनधिक आबादी वाले नगर, 12 लाख से अनधिक आबादी वाली राज्यों की राजधानियां, चंडीगढ़, मोहली, पंचकुला, पांडिचरी और पोर्ट्ब्लेयर में	230 रु. प्रतिमास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, मूल वेतन का 3.5 प्रतिशत

टिप्पणी : (1) इस मद के प्रयोजन के लिए जनसंख्या के आंकड़े वे होंगे, जो नवीनतम जनगणना रिपोर्ट में हैं ।

(2) नगरों के अंतर्गत उनकी शहरी बस्तियां भी सम्मिलित हैं ।

VI. पर्वतीय स्थान भत्ता :

अधिकारियों को संदेय पर्वतीय स्थान भत्ते का मापमान निम्नलिखित अनुसार होगा :—

तैनाती के स्थान की ऊंचाई (मध्य समुद्र तल से ऊपर)	दर
(1) 1500 मीटर और अधिक	180 रु. प्रतिमास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए मूल वेतन का 4 प्रतिशत ।
(2) 1000 मीटर और अधिक किन्तु 1500 मीतर से कम, मर्कारा और ऐसे स्थान, जिन्हें केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए "पर्वतीय स्थान" के रूप में विशिष्ट रूप से घोषित किया गया है ।	150 रु. प्रतिमास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, मूल वेतन का 3 प्रतिशत
(3) 750 मीटर से अन्यून और 1000 मीटर तथा अधिक की ऊंचाई वाले पर्वतों से घिरे और केवल उनके माध्यम से पहुंचे जा सकने वाले स्थान	150 रु. प्रतिमास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, मूल वेतन का 3 प्रतिशत

VII. किट भत्ता

प्रत्येक अधिकारी को, किसी ऐसे पर्वतीय स्थान पर उसका स्थानांतरण होने पर, जिसके लिए इस अनुसूची की मद 6 के निबंधनों के अनुसार पर्वतीय स्थान भत्ता संदेय है, 2000 रु. किट भत्ते का संदाय किया जाएगा ।

परन्तु यदि उस अधिकारी ने ऐसा भत्ता पहले किसी समय लिया है तो उसे किट भत्ते का संदाय नहीं किया जाएगा ।

VIII. कंप्यूटर वेतन वृद्धि नियत वैयक्तिक भत्ता :

(1) नीचे उल्लिखित अधिकारी से भिन्न किसी अधिकारी को :—

(i) जो पहली नियुक्ति पर 1 नवंबर, 1993 को परिवीक्षा पर हैं ; या

(ii) जो 1 नवंबर, 1993 को उसे लागू वेतनमान की अधिकतम सीमा पर पहुंच गया है ; या

(iii) जो 1 नवंबर, 1993 को पैरा 8क में निर्दिष्ट एक या अधिक अतिरिक्त वेतनवृद्धियां प्राप्त कर रहा है ।

कंप्यूटरीकरण के कारण, 1 नवंबर, 1993 को उसे लागू वेतनमान में एक वेतनवृद्धि का संदाय किया जाएगा :

परंतु यह कि ऐसे किसी अधिकारी को, जो निगम या कंपनी की सेवा में अपनी पहली नियुक्ति पर 1 नवंबर,1993 को परिवीक्षा पर था, उसके पुष्टिकरण की तारीख के पश्चात् सेवा का एक वर्ष पूरा करने पर एक वेतनवृद्धि का संदाय किया जाएगा ।

(2) किसी अधिकारी को, —

(i) जो 1 नवंबर, 1993 को उसे लागू वेतनमान की अधिकतम सीमा पर पहुंच गया है, या

(ii) जो 1 नवंबर, 1993 को पैरा 8क में निर्दिष्ट एक या अधिक अतिरिक्त वेतनवृद्धियां प्राप्त कर रहा है,

कंप्यूटरीकरण के कारण, 1 नवंबर, 1993 को उसे लागू वेतनमान में पिछली वेतनवृद्धि की कुल राशि के समतुल्य नियत वैयक्तिक भत्ते, 1 नवंबर,1993 को उस पर मंहगाई भत्ते और मकान किराया भत्ते का अंतर, यदि कोई है, का संदाय किया जाएगा ।

(3) किसी अधिकारी को कंप्यूटरीकरण के कारण कोई वेतनवृद्धि प्राप्त कर रहा है, और जो तत्पश्चात् उसे लागू वेतनमान की अधिकतम सीमा पर पहुंच गया है, वेतनमान की अधिकतम सीमा पर पहुंचने के एक वर्ष की

अवधि की समाप्ति पर उपरोक्त उप-पैरा (2) में निर्दिष्ट नियत वैयक्तिक भत्ते का संदाय किया जाएगा ।

(4) नियत वैयक्तिक भत्ते की, उसी सीमा तक जहां तक वह 1 नवंबर,1996 को उसे लागू वेतनमान में पिछली वेतनवृद्धि की सीमा से अधिक नहीं है,

भविष्य निधि और उपदान के प्रयोजनों के लिए तथा साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन स्कीम, 1995 के अधीन संदेय पेंशन के परियोजन के लिए, गणना की जाएगी ।

IX. स्वारी भत्ता :

1 अगस्त, 1994 से, प्रत्येक ऐसे अधिकारी को, जो किसी भी सवारी स्कीम के अधीन कोई सवारी भत्ता प्राप्त नहीं कर रहा है, 100 रु. प्रतिमास सवारी भत्ते का संदाय किया जाएगा ।

[फा. सं. 2 (1)-बीमा-III/96 (iii)]
सी.एस. राव, संयुक्त सचिव (बीमा)

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केंद्रीय सरकार ने, अधिसूचना के पैरा 4 के उप-पैरा (7) की प्रत्येक मद के सामने विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित तारीखों से भारतीय साधारण बीमा निगम और इसकी चार सहायक कंपनियों के अधिकारियों की बाबत वेतनमान तथा सेवा शर्तों को पुनरीक्षित करने की मंजूरी दे दी है ।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से भारतीय साधारण बीमा निगम या इसकी सहायक कंपनियों के किसी अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

टिप्पण :—मूल स्कीम अधिसूचना सं. का. आ. 521 (अ)तारीख 17-9-1975 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

तत्पश्चात् उसमें अधिसूचना सं. का. आ. 672 (अ) तारीख 21-11-1975, का. आ. 389 (अ) तारीख 1-6-1976, का.आ. 2445, तारीख 30-7-1977, का.आ. 1047, तारीख 29-3-1978,का.आ. 2110, तारीख 14-6-1978, का.आ. 3428, तारीख 16-11-1978, का.आ. 5, तारीख 20-12-1978, का.आ. 770 (अ) तारीख 15-10-1985, का.आ. 883 (अ) तारीख 9-12-1985, का.आ. 442 (अ) तारीख 27-4-1987, का.आ. 138 (अ) तारीख 29-1-1988, का.आ. 782 (अ) तारीख 22-8-1988, का.आ. 572(अ) तारीख 25-7-1989, का.आ. 751 (अ) तारीख 1-10-1990, का.आ. 200 (अ) तारीख 10-3-1992, का.आ. 81(अ) तारीख 2-2-1994, और का.आ. 582 (अ) तारीख 30-6-1995 द्वारा संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(INSURANCE DIVISION)
NOTIFICATION
New Delhi, the 18th July, 1996

S.O. 521 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 17A of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby frames the following Scheme further to amend the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Officers) Scheme 1975, viz. :—

1. Short title and commencement :—

(1) This Scheme may be called the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Officers) Amendment Scheme, 1996.

(2) Save as otherwise provided hereinafter, the provisions of this Scheme shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 1992.

2. In the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other conditions of service of Officers) Scheme, 1975 (hereinafter referred to as the "said Scheme"), in Paragraph 4, after sub-paragraph (6), the following sub-paragraph shall be inserted namely :—

"(7) The pay and allowances of every officer shall be in accordance with the Eighth Schedule, and from a date not earlier than the date mentioned below against each of the items:—

	Item	*Effective Date*
(a)	House Rent Allowance on revised Scale of Pay	1-08-1992
(b)	Scale of Pay & Dearness Allowance (However, House Rent Allowance shall be payable on the basis of basic pay notionally revised from 1-8-1992)	1-04-1993
(c)	City Compensatory Allowance	1-08-1993
(d)	Provident Fund	1-11-1993
(e)	Computer Increment/Fixed Personal Allowance	1-11-1993
(f)	Conveyance Allowance	1-08-1994
(g)	Gratuity based on the scales of pay as per Eighth Schedule.	1-11-1994

Provided that the Officer may choose that his basic pay may be fixed in terms of the Eighth Schedule with effect from any date which shall not be earlier than the 1st day of August, 1992 and later than the date of publication of this Scheme, in which case he shall intimate such choice in writing to the Corporation or Company within thirty days of Publication of this Scheme or such further period as may be allowed by the Managing Director of the Corporation or Chairman-cum-Managing Director of the Company.

Provided further that no arrears for the period prior to the date so chosen shall be payable to such officer.

Provided also that no arrears for the period from 1st day of August 1992 to the 31st day of March, 1993 shall be payable to the Officer in respect of Basic Pay and Dearness Allowance.

3. In paragraph 9 of the said Scheme the following shall be inserted at the end, namely :—

"Explanation.—For the purposes of this paragraph the expression "basic pay plus personal pay, if any" shall be computed :

(i) for the period commencing on 1st day of August, 1992 and ending with 31st day of October, 1993 as per Seventh Schedule ; and

(ii) for the period commencing on 1st day of November, 1993 as per Eighth Schedule."

4. In paragraph 10, following explanation shall be added at the end, namely :—

"Explanation : For the purpose of the provisions of paragraph 10, the scales of pay mentioned in Item I of the Eighth Schedule shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 1994."

5. In the said Scheme, after Seventh Schedule, the following Schedule shall be inserted, namely :—

THE EIGHTH SCHEDULE

(See Paragraph 4)

I. Scale of Pay (Basic Pay) :

(1) General Manager

Rs. 12650-300-13250-350-13600-400-14000

(2) Assistant General Manager

Rs. 11450-300-12650

(3) Manager

Rs. 10450-250-11450

(4) Deputy Manager

Rs. 8970-230-9200-250-10450

(5) Assistant Manager

Rs. 7360-230-9200-250-9950

(6) Administrative Officer

Rs. 5980-230-8970

(7) Assistant Administrative Officer

Rs. 4250-230-4940-350-5290-230-8510

II. Fixation of the Basic Pay

TABLE

Stg. No.	Assistant Administrative Officer		Administrative Officer		Assistant Manager		Deputy Manager		Manager		Assistant General Manager		General Manager	
	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay
1.	2100	4250	2940	5980	3660	7360	4520	8970	5350	10450	5950	11450	6400	12650
2.	2220	4480	3060	6210	3780	7590	4650	9200	5500	10700	6100	11750	6550	12950
3.	2340	4710	3180	6440	3900	7820	4780	9450	5650	10950	6250	12050	6700	13250
4.	2460	4940	3300	6670	4020	8050	4910	9700	5800	11200	6400	12350	6850	13600
5.	2580	5290	3420	6900	4140	8280	5050	9950	5950	11450	6550	12650	7000	14000
6.	2700	5520	3540	7130	4260	8510	5200	10200						
7.	2820	5750	3660	7360	4390	8740	5350	10450						
8.	2940	5980	3780	7590	4520	8970								
9.	3060	6210	3900	7820	4650	9200								
10.	3180	6440	4020	8050	4780	9450								
11.	3300	6670	4140	8280	4910	9700								

Assistant Administrative Officer		Administrative Officer		Assistant Manager		Deputy Manager		Manager		Assistant General Manager		General Manager	
Stg. No.	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay
12.3420	6900		4260	8510	5050	9950								
13.3540	7130		4390	8740										
14.3600	7360		4520	8970										
15.3780	7590													
16.3900	7820													
17. 4020	8050													
18. 4140	8280													
19. 4260	8510													

Note : The term existing basic pay in the above table shall mean the basic pay as applicable in accordance with the Seventh Schedule.

III. Dearness Allowance :

(1) The scale of dearness allowance applicable to the Officers shall be determined as under :—

Index : All India Consumer Price Index for Industrial Workers. Base Year : 1960=100.

Revision of Dearness Allowance :—Revision of Dearness Allowance may be made on quarterly basis for every 4 points rise or fall.

Rate of Dearness Allowance :— For every 4 points in the quarterly average over 1148 points, the dearness allowance shall be calculated at the following rates : —

Basic Pay	Rate of DA for every 4 points
Upto Rs. 4800	0.35% of basic pay.
Rs. 4801-Rs.7700	0.35% of Rs. 4800 plus 0.29% of basic pay in excess of Rs. 4800.
Rs. 7701-Rs. 8200	0.35% of Rs. 4800 plus 0.29% of difference between Rs. 4800 and Rs. 7700 plus 0.17% of basic pay in excess of Rs. 7700.
Rs. 8201 and above	0.35% of Rs. 4800 plus 0.29% of difference between Rs. 4800 and Rs. 7700 plus 0.17% of difference between of Rs. 7700 and Rs. 8200 plus 0.09% of basic pay in excess of Rs. 8200.

(2) There shall be an upward revision of the dearness allowance payable for every four points rise in the quarterly average (hereinafter referred to as the "current average figure") of the All India Consumer Price Index above 1148 points in the sequence 1148-1152-1156-1160 and so on; and there shall be downward revision of the dearness allowance payable if the current average figure falls by four points below the index figure in the above sequence with reference to which the dearness allowance has been paid for the last preceding quarter. On the downward revision, the dearness allowance payable shall correspond to the current average figure if such current average figure is a figure in the above sequence; and the dearness allowance payable shall correspond to the figure in the above sequence next preceding the current average figure if such current average figure is not a figure in the above sequence.

(3) For this purpose, quarter shall mean a period of three months ending on the last day of March, June, September or December.

(4) The final index figures as published in the Indian Labour Journal or the Gazette of India, whichever publication is available earlier, shall be the index figure which shall be taken for the purpose of calculation of dearness allowance.

(5) The revision in dearness allowance corresponding to the changes in the current average figure for any particular quarter shall take effect only from the second succeeding month following the end of the quarter.

IV. House Rent Allowance

(1) The House Rent Allowance payable to Officers shall be at the rate of 12.5 per cent of the basic pay, subject to a maximum of Rs. 875/- per month.

(2) Officers who arre allotted residential accommodation by the Corporation or Company shall pay for such accommodation appropriate licence fee as may be decided by the Corporation or the Company from time to time and shall not be entitled to House Rent Allowance in terms of sub-item (1) of item above.

V. City Compensatory Allowance

During the period from 1-8-1992 to 31-7-1993 the scales of City Compensatory Allowance payable to Officers shall be payable in the same manner and to the same extent as per the Seventh Schedule.

With effect from 1-8-1993, the scales of City Compensatory Allowance payable to Officers shall be as under :

	Place	*Rate*
(a)	Cities with population exceeding 12 lacs, Faridabad, Ghaziabad, NOIDA, Gurgaon, Vashi, Gandhinagar and any city in the State of Goa.	4.5% of basic pay subject to a maximum of Rs. 335/- per month.
(b)	Cities with population of 5 lacs and above but not exceeding 12 lacs, State Capitals with population not exceeding 12 lacs, Chandigarh, Mohali, Panchkula, Pondicherry and Port Bilar.	3.5% of basic pay subject to a maximum of Rs. 230/- per month.

Note : (1) For the purpose of this item, the population figures shall be those in the latest Census Report.

(2) Cities shall include their urban agglomeration.

VI. Hill Station Allowance

The scale of Hill Station Allowance payable to Officers shall be as follows :

	Height of Place of posting (above Mean Sea Level)	*Rate*
(i)	1500 meters and over	4% of basic pay subject to a maximum of Rs. 180 p.m.
(ii)	1000 meters and over but less than 1500 meters, Mercara and places which are specifically declared as "Hill Stations" by Central/ State Governments for their employees.	3% of basic pay subject to a maximum of Rs. 150 p.m.
(iii)	Not less than 750 meters and surrounded by and accessible only through hills with a height of 1000 meters and over.	3% of basic pay subject to a maximum of Rs. 150 p.m.

VII. Kit Allowance

Every Officer on his transfer to any of the hill stations at which hill station allowance is payable in terms of item VI of this Schedule shall be paid a Kit Allowance of Rs. 2,000/- :

Provided no kit allowance shall be payable if such Officer has drawn such allowance at any time earlier.

VIII. Computer Increment/Fixed Personal Allowance

(1) An Officer other than the officer mentioned below :

(i) who is on probation on first appointment as on 1st day of November, 1993 ; or

(ii) who has reached the maximum of the scale of pay applicable to him as on 1st day of November, 1993 ; or

(iii) who has been in receipt of one or more additional increments referred to in paragraph 8A on the 1st day of November, 1993.

shall be paid, on account of computerisation, one increment in the scale of pay applicable to him on the 1st day of November, 1993 :

Provided that an Officer who on his first appointment in the service of the Corporation or Company was on probation on the 1st day of November, 1993 shall be paid one increment on completion of one year of service after the date of his confirmation.

(2) An Officer

(i) who has reached the maximum of the scale of pay applicable to him on the 1st day of November, 1993 ; or

(ii) who has been in receipt of one or more additional increments referred to in paragraph 8A on the 1st day of November, 1993.

shall be paid, a Fixed Personal Allowance on account of computerisation equivalent to the aggregate of the amount of the last increment in the scale of pay applicable to him on the 1st day of November, 1993, the dearness allowance thereon as on the 1st day of November, 1993 and the difference in House Rent Allowance, if any.

(3) An officer who is in receipt of an increment on account of computerisation and who subsequently reached the maximum of the scale of pay applicable to him, shall be paid the fixed personal allowance referred to in sub-paragraph (2) above, on the expiry of a period of one year of reaching the maximum of the scale of pay.

(4) Fixed personal allowance, to the extent it does not exceed the amount of the last increment in the scale of pay applicable to him on the 1st day of November, 1993, shall count for the purposes of provident fund and gratuity and for the purpose of pension payable under the General Insurance (Employees') Pension Scheme, 1995.

IX. Conveyance Allowance

With effect from the 1st day of August, 1994, every Officer, who is not in receipt of any Conveyance Allowance under any of the Conveyance Scheme shall be paid Conveyance Allowance of Rs. 100/- per month.

[F.No. 2 (1)-Ins. III/96 (iii)]
C.S. RAO, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has accorded approval to revise the scales of pay and condition of service in respect of the Officers of the General Insurance Corporation of India and its four Subsidiary Companies with effect from the dates specifically mentioned in the Notification against each of the items in the sub-paragraph (7) of paragraph 4.

2. It is certified that no Officer of the General Insurance Corporation of India or its Subsidiary Companies is likely to be affected adversely by the Notification being given retrospective effect.

Note : The Principal Scheme was published vide Notification No. S.O. 521 (E) dated 17-9-1975.
Subsequently amended by Notification No. S.O.672 (E) dated 21-11-1975, S O. 389 (E) dated 1-6-1976, S.O. 2445 dated 30-7-1977, S.O. 1047 dated 29-3-1978, S.O. 2110 dated 14-6-1978, S.O. 3428 dated 16-11-1978, S.O. 5 dated 20-12-1978, S.O. 770 (E) dated 15-10-1985, S.O 883 (E) dated 9-12-1985, S.O. 442 (E) dated 27-4-1987, S.O. 138 (E) dated 29-1-1988, S.O. 782 (E) dated 22-8-1988, S.O. 572 (E) dated 25-7-1989, S.O. 751 (E) dated 1-10-1990, S O. 200 (E) dated 10-3-1992, S.O. 81 (E) dated 2-2-1994 and S.O. 592 (E) dated 30-6-1995.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1996

का.आ. 522 (अ).—केंद्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1976 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यस्थीकरण) (संशोधन) स्कीम, 1996 है ।

(2) इसमें इसके पश्चात् अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय यह स्कीम 1 अप्रैल, 1995 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

2. साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त स्कीम" कहा गया है) के पैरा 3 में, —

(क) खंड (2) में, "अनुसूची ग" शब्द और अक्षर के स्थान पर "अनुसूची घ" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ।

(ख) खण्ड (17) के उप-खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) 1 अप्रैल, 1995 को प्रारंभ होने वाले कार्य निष्पादन वर्ष से खर्च अनुपात के संबंध में नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट और उसके स्तंभ (1) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विकास अधिकारी पर उपर्युक्त अनुपात निम्नलिखित होगा :—

निम्नलिखित स्थान पर कार्यरत विकास अधिकारी		खर्च अनुपात	
(1)		(2)	
		पैरा 11, 11क और 13 के संबंध में लागू	पैरा 11, 11क और 13 से भिन्न पैराओं के संबंध में लागू
(क)	नगर जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक है ।	8%	7%
(ख)	नगर जिनकी जनसंख्या 5 लाख और उससे अधिक है किन्तु 12 लाख से कम है ।	9%	8%
(ग)	अन्य केन्द्र	11%	10%

परन्तु 1-4-1995 से 31-3-1996 तक, 1-4-1996 से 31-3-1997 और 1-4-1997 से 31-3-1998 तक के कार्य निष्पादन वर्षों के लिए 1 प्रतिशत की छूट, सारणी में विनिर्दिष्ट खर्च अनुपात में अनुबंधित सीमाओं में अनुज्ञात किया जाएगा :

परन्तु यह और कि किसी कठिनाई वाले क्षेत्र में तैनात किसी विकास अधिकारी के लिए, अध्यक्ष ऐसे क्षेत्र से उपाप्त प्रीमियम की रकम और संरचना को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा और उनके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, सारणी में विनिर्दिष्ट खर्च अनुपात की अनुबंधित सीमाओं में 1% की और छूट दे सकेगा :

परन्तु यह और भी कि पैरा 11, 11क और 13 के संबंध में लागू अनुबंधित सीमाओं में, ऐसे विकास अधिकारी के संबंध में और 1% की छूट दी जा सकेगी जिसने 55 वर्ष आयु और कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है ।

स्पष्टीकरण 1 : भारत सरकार की नवीनतम जनगणना रिपोर्ट से अभिनिश्चित नगरपालिका सीमाओं के भीतर किसी नगर की जनसंख्या अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण 2 : "कठिनाई वाला क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे निगम ने उस क्षेत्र में कारबार उपाप्त करने में आने वाली विशेष कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उस रूप में विनिर्दिष्ट किया है ।

3. उक्त स्कीम में, पैरा 7क, 7ख, 7ग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"7क. वेतनमान नियतन की पद्धति और बकाया का संदाय.— (1) प्रत्येक विकास अधिकारी का वेतन तथा भत्ते अनुसूची "घ" के

अनुसार होंगे और प्रत्येक मद के सामने नीचे वर्णित तारीख से पहले प्रभावी नहीं होंगे ।

मद	प्रभावी	तारीख
(क)	वेतनमान, मंहगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता	1-04-1993
(ख)	नगर प्रतिकरात्मक भत्ता	1-08-1993
(ग)	कम्पयूटर वेतन वृद्धि/नियत वैयक्तिक भत्ता	1-11-1993
(घ)	भविष्य निधि	1-11-1993
(ङ)	पर्वतीय स्थान भत्ता और तकनीकी अर्हताओं का भत्ता	1-04-1995

(2) ऐसे प्रत्येक विकास अधिकारी का मूल वेतन जो 1 अप्रैल, 1993 को सेवारत था या जिसे उसके पश्चात् नियुक्त किया गया था, अनुसूची "घ" की मद II के अनुसार नियत किया जाएगा ।

(3) प्रत्येक विकास अधिकारी को, जिसका मूल वेतन अनुसूची "घ" की मद II के अनुसार नियत किया गया है, 1 अप्रैल, 1993 को या उसकी नियुक्ति की तारीख, जो भी बाद में हो, से प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए अनुसूची "घ" के अधीन सकल परिलब्धियों और तकनीकी अर्हताओं के लिए संदेय भत्ते तथा अनुसूची "ग" के अधीन संदत्त की गई राशि के बीच का अन्तर भविष्य निधि में विकास अधिकारी का अनिवार्य अंशदान काटने के पश्चात् संदत्त किया जाएगा ।

7ख. साम्यापूर्ण सहायता :—

पैरा 7क में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे विकास अधिकारी को, जो 1 अप्रैल, 1993 से 31 मार्च, 1995 तक की अवधि के दौरान किसी भी समय सेवारत था, ऐसी सेवावधि के लिए साम्यापूर्ण सहायता संदत्त किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण : —इस पैरा के प्रयोजन के लिए "साम्यापूर्ण सहायता" से क्रमशः अनुसूची "घ" और "ग" के अधीन संगणित सकल परिलब्धियों और तकनीकी अर्हताओं के लिए भत्ते के बीच का अन्तर अभिप्रेत है परन्तु यह यथास्थिति अनुग्रह पूर्वक संदाय भविष्य निधि और उपदान, के पारिणामिक समायोजन पश्चात् निकाली जाएगी ।

7ग. बकाया और साम्यापूर्ण सहायता का खर्च में समामेलन

पैरा 7क और ग के अधीन अवधारित बकाया और साम्यापूर्ण सहायता को खर्च की अनुबंधित सीमाओं के अध्याधीन रहते हुए, संबंधित कार्य-निष्पादन वर्ष के लिए, जिससे वह संबंधित है, विकास अधिकारी के खर्च में जोड़ दिया जाएगा और अतिशेष उत्तरवर्ती निष्पादन-वर्षों में उसकी लागत में जोड़ दिया जाएगा परन्तु यह तब तक जब कि वर्ष 1995-1996 तक खर्च में पर्याप्त अन्तर हो और अतिशेष यदि कोई हो तो वर्ष 1996-97 और 1997-98 में ऐसे अनुपात में समायोजित किया जाएगा जिसका वह इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख के 90 दिन भीतर चयन करे ।

4. उक्त स्कीम में, पैरा 14 में, दूसरे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :

"परन्तु यह और कि लागत पर आधारित वृद्धि प्रोत्साहन अनुसूची "ङ" में यथा उपबंधित सुसंगत निष्पादन वर्ष के दौरान संबद्ध विकास अधिकारी द्वारा लिए जा रहे पुनरीक्षित मूल वेतन के तत्समान बारह मास का पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन के समतुल्य रकम से अधिक नहीं होगी ।"

5. उक्त स्कीम में, पैरा 15 में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि इस पैरा के अधीन किसी विकास अधिकारी को संदेय लाभ प्रोत्साहन अनुसूची ङ में यथा उपबंधित सुसंगत निष्पादन वर्ष के दौरान संबद्ध विकास अधिकारी द्वारा लिए जा रहे पुनरीक्षित मूल वेतन के तत्समान बारह मास के पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन के समतुल्य रकम से अधिक नहीं होगा और यह लागत जिसमें लाभ प्रोत्साहन, यदि कोई हो, भी है, पैरा 3 के खंड (17) के उपखंड (ग) में अनुबंधित सीमाओं के भीतर होगी ।"

6. उक्त स्कीम के पैरा 16 के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा :

स्पष्टीकरण : इस पैरा के प्रयोजन के लिए पद "मूल वेतन" निम्नानुसार संगणित किया जाएगा :

(i) 1 अप्रैल, 1993 से प्रारंभ और 31 अक्तूबर, 1993 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूची "ग" के अनुसार और

(ii) 1 नवम्बर, 1993 को प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए अनुसूची "घ" के अनुसार ।

7. उक्त स्कीम में, अनुसूची "ग" के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूचियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

अनुसूची-घ

(पैरा 3, 7क, 7ख, 11, 11क, 13, 14, 15, 16 और 17 देखिए)

I. वेतनमान (मूल वेतन)

(1) विकास अधिकारी ग्रेड-I

2815-155-3435-175-3610-230-7520 रुपये

(2) विकास अधिकारी ग्रेड-II

2050-120-2530-130-2790 रुपये

II. मूल वेतन का नियतन

सारणी

(रुपयों में)

प्रक्रम	विकास अधिकारी ग्रेड-I		विकास अधिकारी ग्रेड-II	
	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन
1	2	3	4	5
1	1430	2815	1050	2050
2	1510	2970	1110	2170
3	1590	3125	1170	2290
4	1670	3280	1230	2410
5	1750	3435	1290	2530
6	1840	3610	1350	2660
7	1960	3840	1410	2790
8	2080	4070		
9	2200	4300		
10	2320	4530		
11	2440	4760		
12	2560	4990		
13	2680	5220		
14	2800	5450		
15	2920	5680		

1	2	3	4	5
16	3040	5910		
17	3160	6140		
18.	3280	6370		
19	3400	6600		
20	3520	6830		
21	3640	7060		
22.	3760	7290		
23.	3880	7520		

टिप्पण : उपरोक्त सारणी में पद "विद्यमान मूल वेतन अनुसूची "ग" के अनुसार यथा लागू मूल वेतन अभिप्रेत हैं ।

III. महंगाई भत्ता:

(1) विकास अधिकारियों को लागू महंगाई भत्ते का माप्मान निम्नलिखित रूप में अवधारित किया जाएगा :—

भारतीय औसत उपभोक्ता कीमत सूचकांक संख्या 1148

आधार : 1960-100 की श्रंखला में सूचकांक संख्या 1148

दर : महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण प्रत्येक 4 प्वाइंटों की वृद्धियां कमी के लिए त्रैमासिक आधार पर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1148 प्वाइंटों से ऊपर त्रैमासिक औसत में किया जाएगा । विकास अधिकारियों को निम्नलिखित दरों पर महंगाई भत्ता संदत्त किया जाएगा :

मूल वेतन		प्रत्येक 4 प्वाइंटों के लिए महंगाई भत्ते की दर
(i)	4800 रुपये तक	मूल वेतन का 0.35 प्रतिशत
(ii)	4801 से 7700 रुपये तक	4800 रुपये का 0.35 प्रतिशत धन 4800 रुपये से अधिक मूल वेतन का 0.29 प्रतिशत
(iii)	7701 और उससे अधिक	4800 रुपये का 0.35 प्रतिशत धन 7700 रुपये और 4800 रुपये के बीच के अन्तर का 0.29 प्रतिशत धन 7700 से अधिक मूल वेतन का 0.17 प्रतिशत

(2) अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के त्रैमासिक औसत (जिसे इसमें इसके पश्चात् "चालू औसत अंक" कहा गया है) में 1148-1152-1156-1160 के अनुक्रम में 1148 प्वाइंटों से ऊपर प्रत्येक चार प्वाइंटों की वृद्धि होने पर महंगाई भत्ते का उर्ध्वगामी पुनरीक्षण होगा, और यदि चालू औसत अंक उपर्युक्त अनुक्रम में उस सूचकांक से नीचे आ जाता है जिसके संदर्भ में पिछली पूर्ववर्ती तिमाही के लिए मंहगाई भत्ता दिया जाता है तो संदेय महंगाई भत्ते का उद्योगामी पुनरीक्षण होगा उद्योगामी पुनरीक्षण होने पर संदेय महंगाई भत्ता उस दशा में चालू औसत अंकों के तत्समान होगा, यदि ऐसा चालू औसत अंक उपर्युक्त अनुक्रम में कोई अंक है और यदि ऐसा चालू औसत अंक, उपर्युक्त अनुक्रम में कोई अंक नहीं है तो संदेय महंगाई भत्ता उपर्युक्त अनुक्रम में उस अंक के तत्समान होगा जो चालू औसत अंक से ठीक पहले का है ।

(3) इस प्रयोजन के लिए तिमाही से तीन मास की ऐसी अवधि अभिप्रेत होगी जो मार्च, जून, सितम्बर या दिसम्बर के अंतिम दिन समाप्त होगी ।

(4) भारतीय श्रम पत्रिका या भारत के राजपत्र में, जो भी प्रकाशन पूर्वतर उपलब्ध हो, यथा-प्रकाशित अंतिम सूचकांक आंकड़े ऐसे सूचकांक आंकड़े होंगे जो महंगाई भत्ते की संगणना के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिए जाएंगे ।

(5) किसी विशिष्ट तिमाही के लिए चालू औसत आंकड़े में परिवर्तनों के तत्समान महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण उस तिमाही की समाप्ति के पश्चात् दूसरे उत्तरवर्ती मास से ही प्रभावी होगा ।

IV. मकान किराया भत्ता :

(1) ऐसे विकास अधिकारियों जिन्हें निगम या कंपनी द्वारा वास-सुविधा आबंटित की गई है, से भिन्न विकास अधिकारियों के लिए मकान किराया भत्ते का मापमान 5900 रुपए मूल वेतन तक 12.5 प्रतिशत की दर से और 5900 रुपये से अधिक मूल वेतन पर 10 प्रतिशत की दर से होगा ।

(2) ऐसे विकास अधिकारी जिन्हें निगम या कंपनी द्वारा वास-सुविधा आबंटित की जाती है, ऐसे वास-सुविधा के लिए निगम द्वारा समय-समय पर विनिश्चित समुचित अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेंगे और किसी मकान किराया भत्ते के हकदार नहीं होंगे ।

V. नगर प्रतिकरात्मक भत्ता :

1-4-1993 से 31-7-1993 तक की अवधि के दौरान विकास अधिकारियों को संदेय नगर प्रतिकरात्मक भत्ता अनुसूची "ग" में विहित रीति में और सीमा तक संदेय होगा ।

1-8-1993 से विकास अधिकारियों को संदेय नगर प्रतिकरात्मक भत्ते का मापमान निम्नलिखित होगा :

	तैनाती का स्थान	दर
(क)	12 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, गोवा राज्य में कोई भी नगर, गुड़गांव, वाशी और गांधीनगर ।	मूल वेतन का 4.5 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 220 रुपये प्रतिमास
(ख)	5 लाख और उससे अधिक किन्तु 12 लाख से अनधिक जनसंख्या वाले नगर, 12 लाख से अनधिक जनसंख्या वाली राज्य की राजधानियां, चंडीगढ़, मोहाली, पांडिचेरी, पोर्ट ब्लेअर और पंचकुला नगर ।	मूल वेतन का 3.5 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 165 रुपये प्रति मास ।

टिप्पण : (i) इस पैरा के प्रयोजन के लिए, जनसंख्या वह होगी जो नवीनतम जनगणना रिपोर्ट में दी है ।

(ii) नगरों के अंतर्गत नगर बस्तियां भी हैं ।

6. पर्वतीय स्थान भत्ता :

विकास अधिकारियों को संदेय पर्वतीय स्थान भत्ते का मापमान निम्नलिखित होगा :

	तैनाती का स्थान	दर
(i)	औसत समुद्र तल से 1500 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर तैनात	मूल वेतन का 4 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 150 रुपए प्रति मास ।
(ii)	मरकरा और ऐसे स्थानों पर जिन्हें केंद्रीय सरकार/राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए विशिष्ट रूप से "पर्वतीय स्थान" घोषित किया जाता है, औसत समुद्र तल से 1000 मीटर और उससे अधिक किन्तु 1500 मीटर से कम की ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर तैनात	मूल वेतन का 3 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 125 रुपये प्रति मास
(iii)	750 मीटर से अन्यून ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थानों पर तैनात जो 1000 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई वाले पर्वतों से घिरे हुए हैं और जहां उसी रास्ते से पहुंचा जा सकता है ।	-तदैव-

VII. तकनीकी अर्हताओं के लिए भत्ता :

(1) ऐसे पुष्ट किए गए विकास अधिकारी को, जो नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित किसी परीक्षा में अर्हित होता है या जिसने उसमें अर्हता प्राप्त की है, परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन की तारीख से या 1 अप्रैल, 1995 से, जो भी बाद में हो, सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित तकनीकी अर्हताओं के लिए भत्ते का संदाय किया जाएगा :

सारणी

परीक्षा	तकनीकी अर्हताओं के लिए प्रतिमास भत्ता
1	2
भारतीय बीमा संस्थान या चार्टर्ड बीमा संस्थान	
(i) लाइसेंसिएट	48/-
(ii) एसोसिएटशिप पूरी करने पर	144/-
(iii) फैलोशिप पूरी करने पर	240/-
1	2
बीमांकन संस्थान:	
(iv) प्रत्येक विषय उत्तीर्ण करने पर चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान या लागत और संकर्म लेखाकार संस्थान	48/-
(v) इंटरमीडिएट परीक्षा पूरी करने पर	96/-
(vi) अंतिम समूह क या समूह ख पूरा करने पर	180/-
(vii) अंतिम समूह क और समूह ख पूरा करने पर	240/-

परन्तु उसे तकनीकी अर्हताओं के लिए एक से अधिक भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा ।

(2) तकनीकी अर्हता के लिए भत्ता दिए जाने से संबंधित विकास अधिकारी की ज्येष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(3) जहां किसी विकास अधिकारी को उक्त परीक्षाओं में से किसी परीक्षा में अर्हित होने के लिए पहले ही कोई अग्रिम वेतनवृद्धि या कोई अन्य आवर्ती आर्थिक फायदा दिया गया है, वहां पहले से प्राप्त फायदे की मात्रा पर निर्भर करते हुए अर्हता भत्ते की रकम उपयुक्त रूप से कम कर दी जाएगी या अनुज्ञेय नहीं होगी ।

VIII. कम्प्यूटर वेतनवृद्धि/नियत वैयक्तिक भत्ता :

(1) नीचे उल्लिखित विकास अधिकारी से भिन्न किसी विकास अधिकारी को :

(i) जो 1 नवम्बर, 1993 को प्रथम नियुक्ति पर परिवीक्षाधीन है ; या

(ii) जो 1 नवम्बर, 1993 को उसी लागू वेतनमान के अधिकतम तक पहुंच चुका है ।

कम्प्यूटरीकरण के मद्दे 1 नवम्बर, 1993 को उसे लागू वेतनमान में एक वेतनवृद्धि का संदाय किया जाएगा :

परन्तु ऐसे विकास अधिकारी को, जो कंपनी की सेवा में अपनी प्रथम नियुक्ति पर, 1 नवम्बर, 1993 को परिवीक्षाधीन था, पुष्टीकरण की तारीख के पश्चात् एक वर्ष की सेवा पूरी करने पर एक वेतनवृद्धि का संदाय किया जाएगा ।

(2) ऐसे विकास अधिकारी को जो 1 नवम्बर, 1993 को उसे लागू वेतनमान से अधिकतम तक पहुंच चुका हे, कम्प्यूटरीकरण के मद्दे 1 नवम्बर, 1993 को उसे लागू वेतनमान में अंतिम वेतनवृद्धि, 1 नवम्बर, 1993 को उस पर महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ते में अंतर, यदि कोई हो, की रकम के योग के समतुल्य नियत वैयक्तिक भत्ता संदत्त किया जाएगा ।

(3) ऐसे विकास अधिकारी को, जो कम्प्यूटरीकरण के मद्दे कोई वेतनवृद्धि प्राप्त कर रहा है और जो बाद में, उसे लागू वेतनमान के अधिकतम तक पहुंच जाता है, वेतनमान के अधिकतम तक पहुंचने के एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर ऊपर उप-पैरा (2) में निर्दिष्ट नियत वैयक्तिक भत्ता संदत्त किया जाएगा ।

(4) 1 नवम्बर, 1993 को उसे लागू वेतनमान में अंतिम वेतनवृद्धि की रकम से अनधिक सीमा तक नियत वैयक्तिक भत्ता भविष्य निधि और उपदान के प्रयोजनों के लिए और साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन स्कीम, 1995 के अधीन संदेय पेंशन के प्रयोजनों के लिए गणना में लिया जाएगा ।

अनुसूची "ङ"

(पैरा 14 और 15 देखिए)

(रुपये में)

प्रक्रम सं.	विकास अधिकारी श्रेणी I			विकास अधिकारी श्रेणी II		
	पुनरीक्षित मूल वेतन	पुनरीक्षण-पूर्व मूल वेतन	अधिकतम संदेय	पुनरीक्षित वेतन	पुनरीक्षण-पूर्व मूल वेतन	अधिकतम संदेय
1	2815	1430	17160	2050	1050	12600
2.	2970	1510	18120	2170	1110	13320
3.	3125	1590	19080	2290	1170	14040
4.	3280	1670	20040	2410	1230	14760
5	3435	1750	21000	2530	1290	15480
6	3610	1840	22080	2660	1350	16200
7.	3840	1960	23520	2790	1410	16920
8.	4070	2080	24960			
9.	4300	2200	26400			
10.	4530	2320	27840			
11.	4760	2440	29280			
12.	4990	2560	30720			
13.	5220	2680	32160			
14.	5450	2800	33600			
15.	5680	2920	35040			
16.	5910	3040	36480			
17.	6140	3160	37920			
18.	6370	3280	39360			
19	6600	3400	40800			
20	6830	3520	42240			
21	7060	3640	43680			
22	7290	3760	45120			
23.	7520	3880	46560			

[फा. सं. 2 (I)-बीमा 3/96 (IV)]

सी. एस. राव, संयुक्त सचिव (बीमा)

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केंद्रीय सरकार ने 1 अपैल, 1995 से भारतीय साधारण बीमा निगम की समनुषंगी कंपनियों के विकास अधिकारियों के वेतनमान और सेवा-शर्तों को पुनरीक्षित करने की मंजूरी दे दी है । तदनुसार विकास अधिकारियों की स्कीम को 1 अप्रैल, 1995 से संशोधित किया जा रहा है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से भारतीय साधारण बीमा निगम की समनुषंगी कंपनियों के किसी विकास अधिकारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

टिप्पण : मूल स्कीम अधिसूचना सं. का. आ. 327 (अ), तारीख 29-4-1976 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसके बाद अधिसूचना सं. का.आ. 761(अ) तारीख 1-12-1976, का.आ. 2444, तारीख 30-7-1977, का.आ. 1048 तारीख 29-3-1978, का.आ. 414 (अ), तारीख 28-6-1978, का.आ. 3430 तारीख 16-11-1978, का.आ. 80 (अ) तारीख 13-2-1987, का.आ. 781 (अ) तारीख 22-8-1988, का.आ. 478 (अ) तारीख 13-6-1990, का.आ. 766 (अ) तारीख 9-10-1990, का.आ. 201 (अ) तारीख 10-3-1992,का.आ. 82 (अ) तारीख 2-2-1994 और का.आ. 593 (अ) तारीख 30-6-1995 द्वारा उसमें संशोधन किए गए ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 1996

S.O. 522(E).—In exercise of the powers conferred by section 17A of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby frames the following Scheme further to amend the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Development Staff) Scheme, 1976, namely :—

Short title and commencement :—

1. (1) This Scheme may be called the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Development Staff) (Amendment) Scheme, 1996.

(2) Save as otherwise provided hereinafter, this Scheme shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 1995.

2. In the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Development Staff) Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the "said Scheme"), in paragraph 3,—

(a) in clause (2), for the word and letter "Schedule C", the word and letter "Schedule D" shall be substituted.

(b) for the sub-clause (c) of clause (17), the following shall be substituted, namely :—

"(c) in relation to cost ratio from the performance year commencing on the 1st day of April, 1995, the ratio specified in column (2) of the table below and incurred on a Development Officer specified in the corresponding entry in column (1) thereof :—

Development Officer operating at	COST RATIO	
	Applicable in relation to paragraphs 11, 11A and 13	Applicable in relation to paragraphs other than 11, 11A and 13
(a) Cities with population exceeding 12 lacs	8%	7%
(b) Cities with population of 5 lacs and above, but not exceeding 12 lacs.	9%	8%
(c) Other centres	11%	10%

Provided that for the performance years 1-4-1995 to 31-3-1996, 1-4-1996 to 31-3-1997 and 1-4-1997 to 31-3-1998 relaxation of one per cent shall be allowed in the stipulated limits of cost ratios specified in the Table. Provided further that for a Development Officer posted in a hardship area, the Chairman may, after taking into account the amount and the compensation of premium procured from such area, by order and for reasons to be recorded in writing, grant further relaxation of one per cent in the stipulated limits of cost ratios specified in the Table.

Provided also that the stipulated limits applicable in relation to paragraphs 11, 11A and 13 shall be further relaxed by one per cent in respect of a Development Officer who has attained the age of 55 years and has completed minimum 15 years of service.

Explanation 1 : Population shall mean the population of a city within its municipal limits ascertained from the latest Census Report of the Government of India.

Explanation 2 : "Hardship Area" shall mean an area specified as such by the Corporation in regard to the special difficulties faced in procuring business in that area.

3. In the said Scheme, for the paragraphs 7A, 7B and 7C, the following shall be substituted namely,

"7A. Scales of Pay, method of fixation and payment of arrears :

(1)The pay and allowances of every Development Officer shall be in accordance with Schedule 'D', and from a date not earlier than the date mentioned below against each of the items :

	Item	Effective date
(a)	Scale of pay, Dearness Allowance and House Rent Allowance	1-04-1993
(b)	City Compensatory Allowance	1-08-1993
(c)	Computer Increment/Fixed Personal Allowance	1-11-1993
(d)	Provident Fund	1-11-1993
(e)	Hill Station Allowance and allowance for Technical Qualifications	1-04-1995

(2) The basic pay of every Development Officer who was in service on 1st day of April, 1993 or was appointed thereafter, shall be fixed in accordance with item II of Schedule 'D'.

(3) Every Development Officer whose basic pay is fixed in accordance with Item II of Schedule 'D', shall be paid for the period commencing on and from the 1st day of April, 1993 or the date of his appointment, whichever is later, the difference of gross emoluments and allowance for technical qualifications payable under Schedule 'D' and that paid under Schedule 'C' after deducting the Development Officer's compulsory contribution to Provident Fund.

7B. Equitable Relief :

Notwithstanding anything contained in paragraph 7A, the Development Officer who was in service at anytime during the period from the 1st day of April, 1993 to 31st day of March, 1995 shall be paid equitable relief for the period of such service.

Explanation : For the purpose of this paragraph, the term "Equitable Relief" means the difference between the aggregate of gross emoluments and allowance for technical qualifications computed under Schedule 'D' and Schedule 'C' respectively with consequent adjustment of exgratia payment, provident fund and gratuity as the case may be.

7C. Absorption of Arrears and Equitable Relief in Cost : The arrears and equitable relief determined under paragraphs 7A and 7B shall be added to the cost of Development Officer for the respective performance year to which they relate subject to the stipulated limits of cost and the balance shall be added to his cost in the succeeding performance years provided there is adequate margin in cost upto 1995-96 and balance if any shall be adjusted in 1996-97 and 1997-98 in such proportion as he may choose within 90 days of the date of publication of this Scheme."

4. In the said Scheme, in paragraph 14, for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided further that the amount of cost based growth incentive shall not exceed an amount equivalent to twelve months' pre-revised basic pay corresponding to the revised basic pay drawn by the concerned Development Officer during the relevant performance year as provided in Schedule 'E' ".

5. In the said Scheme, in paragraph 15, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that the profit incentive under this paragraph payable to Development Officer shall not exceed an amount equivalent to twelve months' pre-revised basic pay corresponding to the revised basic pay drawn by the concerned Development Officer during the relevant performance year as provided in Schedule 'E', and this cost including the profit incentive and cost based growth incentive, if any, is within the limits stipulated in sub-clause (c) of clause (17) of paragraph 3."

6. In paragraph 16 of the said Scheme, the following explanation shall be added at the end :

Explanation : For the purpose of this paragraph the expression "basic pay" shall be computed :

(i) for the period commencing on the 1st day of April, 1993 and ending on 31st day of October, 1993 as per Schedule 'C' and

(ii) for the period commencing on the 1st day of November, 1993 as per Schedule 'D'.

7. In the said Scheme, after Schedule 'C', the following Schedules shall be inserted, namely :—

"SCHEDULE-D

(See paragraphs 3, 7A, 7B, 11, 11A, 13, 14, 15, 16 and 17)

I. Scales of Pay (Basic Pay)

1. Development Officer Grade-I
Rs. 2815-155-3435-175-3610-230-7520

2. Development Officer Grade-II
Rs. 2050-120-2530-130-2790

II. Fixation of Basic Pay :

TABLE

Stage No.	Development Officer Grade-I		Development Officer Grade-II	
	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay
1	2	3	4	5
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
1.	1430	2815	1050	2050
2	1510	2970	1110	2170
3.	1590	3125	1170	2290
4.	1670	3280	1230	2410
5.	1750	3435	1290	2530
6.	1840	3610	1350	2660
7.	1960	3840	1410	2790
8.	2080	4070		
9.	2200	4300		
10.	2320	4530		
11.	2440	4760		
12.	2560	4990		
13.	2680	5220		
14.	2800	5450		
15.	2920	5680		
16	3040	5910		
17	3160	6140		
18.	3280	6370		
19.	3400	6600		
20.	3520	6830		
21.	3640	7060		
22.	3760	7290		
23.	3880	7520		

Note : The term "Existing Basic Pay" in the above Table shall mean the basic pay as applicable in accordance with Schedule 'C'.

III. Dearness Allowance :

(1) The scale of dearness allowance applicable to the Development Officers shall be determined as under : —

Index : All India Average Consumer Price Index number for Industrial Workers

Base : Index Number 1148 in the series 1960=100

Rate : Revision of dearness allowance shall be made on quarterly basis for every 4 points rise or fall, in the quarterly average of the All India Consumer Price Index above 1148 points. Development Officers may be paid dearness allowance at the following rates :

Basic Pay	Rate of dearness allowance for every 4 points
(i) Upto Rs. 4800/-	0.35% of basic pay ;
(ii) Rs. 4801/- to Rs. 7700/-	0.35% of Rs. 4800/- plus 0.29% of basic pay in excess of Rs. 4800/- ;
(iii) Rs. 7701/- and above	0.35% of Rs. 4800/- plus 0.29% of difference between Rs. 7700/- and Rs. 4800/- puls 0.17% of basic pay in excess of 7700/-.

(2) There shall be an upward revision of the dearness allowance payable for every four points rise in the quarterly average (hereinafter referred to as the "current average figures") of the All India Consumer Price Index above "1148 points in the sequence 1148-1152-1156-1160" and so on and there shall be downward revision of the dearness allowance payable if the current average figure falls by four points below the index figure in the above sequence with reference to which the dearness allowance has been paid for the last preceding quarter. On the downward revision, the dearness allowance payable shall correspond to the current average figure if such current average figure is a figure in the above sequence; and the dearness allowance payable shall correspond to the figure in the above sequence next preceding the current average figure if such current average figure is not a figure in the above sequence.

(3) For this purpose, quarter shall mean a period of three months ending on the last day of March, June, September or December.

(4) The final index figures as published in the Indian Labour Journal or the Gazette of India, whichever publication is available earlier shall be the index figure which shall be taken for the purpose of calculation of dearness allowance.

(5) The revision in dearness allowance corresponding to the changes in the current average figure for any particular quarter shall take effect only from the second succeeding month following the end of the quarter.

IV. House Rent Allowance :

(1) The scale of House Rent Allowance of Development Officers, except those who have been allotted residential accommodation by the Corporation or the company shall be at the rate of 12.5% of the basic pay upto Rs. 5900/- and at the rate of 10% of the basic pay which is in excess of Rs. 5900/-.

(2) Development Officers who are allotted residential accommodation by the Corporation or Company shall pay for such accommodation appropriate licence fee as may be decided by the Corporation from time to time and shall not be entitled to any house rent allowance.

V. City Compensatory Allowance :

During the period from 1-4-1993 to 31-7-1993, the scales of the City Compensatory Allowance payable to

Development Officers shall be payable in the same manner and to the extent as per Schedule 'C'.

With effect from 1-8-1993, the scales of City Compensatory Allowance payable to Development Officers shall be as under :

Place of Posting	Rate
(a) Cities with population exceeding 12 lacs, Faridabad, Ghaziabad, Noida, any city in the Stateof Goa, cities of Gurgaon, Vashi and Gandhinagar.	4.5% of basic pay subject to a maximum of Rs. 220/- per month.
(b) Cities with population of 5 lacs and above but not exceeding 12 lacs, State Capitals with population not exceeding 12 lacs, Chandigarh, Mohali, Pondicherry, Port Blair and the city of Panchkula.	3.5% of basic pay subject to a maximum of Rs. 165/- per month.

Notes : (i) For the purpose of this paragraph, the population shall be those in the latest Census Report.

(ii) Cities shall include urban agglomerations.

VI. Hill Station Allowance :

The scale of Hill Station Allowance payable to Development Officers shall be as follows :

Place of posting	Rate
(i) At places situated at a height of 1500 metres and over above mean sea level.	4% of basic pay subject to a maximum of Rs. 150/- per month.
(ii) At places situated at a height of 1000 metres and over but less than 1500 metres above mean sea level at Mercara and at places which are specially declared as "Hill Stations" by Central/State Governments for their employees.	3% of basic pay subject to a maximum of Rs. 125/- per month.
(iii) At places not less than 750 metres and surrounded by and accessible only through hills with a height of 1000 meters and over.	3% of basic pay subject to a maximum of Rs. 125/- per month.

VII. Allowance for Technical Qualifications :

(1) A confirmed Development Officer who qualifies or who has qualified in an examination mentioned in column (1) of the table below shall be paid with effect from the date of publication of the results of the examination, or 1st day of April, 1995 whichever is later, the allowance for technical qualifications mentioned in column (2) of the table.

TABLE

Examination	Allowance for Technical Qualifications per month
Insurance Institute of India or Chartered Insurance Institute :	**(Rupees)**
(i) Licentiate	48/-
(ii) Completion of Associateship	144/-
(iii) Completion of Fellowship	240/-
Institute of Actuaries :	
(iv) On passing each subject	48/-
Institute of Chartered Accountants or Institute of Cost and Works Accountants :	
(v) Completion of intermediate examination	96/-
(vi) Completion of Final Group A or Group B	180/-
(vii) Completion of Final Group A and Group B	240/-

Provided that not more than one allowance for technical qualifications shall be permissible to him.

(2) Grant of allowance for Technical Qualification shall not affect the seniority of the Development Officer concerned.

(3) Where the Development Officer has already been given an advance increment or other recurring monetary benefit for having qualified in any of the said examinations, the amount of qualification allowance shall be suitably reduced or be not admissible depending on the quantum of benefit already received.

VIII. Computer Increment/Fixed Personal Allowance :

(1) A Development Officer other than a Development Officer mentioned below :

(i) who is on probation on first appointment as on 1st day of November, 1993 ; or

(ii) who has reached a maximum of scale of pay applicable to him as on 1st day of November, 1993 ;

shall be paid, on account of computerisation, one increment in the scale of pay applicable to him on the 1st day of November, 1993 :

Provided that a Development Officer on his first appointment in the service of the Company was on probation on the first day of November, 1993 shall be paid one increment on completion of one year of service after the date of his confirmation.

(2) A Development Officer who has reached the maximum of the scale of pay applicable to him on the first day of November, 1993 shall be paid a fixed personal allowance on account of computerisation equivalent to the aggregate of the amount of the last increment in the scale of pay applicable to him on the first day of November, 1993, the Dearness Allowance thereon as on the first day of November, 1993 and the difference in House Rent Allowance, if any.

(3) A Development Officer who is in receipt of an increment on account of computerisation and who subsequently reached the maximum of the scale of pay applicable to him, shall be paid the fixed personal allowance referred to in sub-paragraph (2) above, on the expiry of period of one year of reaching the maximum of the scale of pay.

(4) Fixed Personal Allowance, to the extent it does not exceed the amount of the last increment in the scale of pay applicable to him on the first day of November, 1993, shall count for the purposes of Provident Fund and Gratuity and for the purposes of Pension payable under the General Insurance (Employees') Pension Scheme, 1995.

Schedule "E"

(See paragraph 14 and 15)

(in Rupees)

Stage No.	Development Officer Grade-I			Development Officer Grade-II		
	Revised basic pay	Pre-revised basic pay	Maximum payable	Revised basic pay	Pre-revised basic pay	Maximum payable
1.	2815	1430	17160	2050	1050	12600
2.	2970	1510	18120	2170	1110	13320
3.	3125	1590	19080	2290	1170	14040
4.	3280	1670	20040	2410	1230	14760
5.	3435	1750	21000	2530	1290	15480
6.	3610	1840	22080	2660	1350	16200
7.	3840	1960	23520	2790	1410	16920
8.	4070	2080	24960			
9.	4300	2200	26400			
10.	4530	2320	27840			
11.	4760	2440	29280			
12.	4990	2560	30720			
13.	5220	2680	32160			
14.	5450	2800	33600			
15.	5680	2920	35040			
16.	5910	3040	36480			
17.	6140	3160	37920			
18.	6370	3280	39360			
19.	6600	3400	40800			
20.	6830	3520	42240			
21.	7060	3640	43680			
22.	7290	3760	45120			
23.	7520	3880	46560			

[F.No. 2 (I)-Ins. III/96 (iv)]
C. S. RAO, Jt. Secy. (Insurance)

EXPLANATORY MEMORANDUM

Central Government has accorded approval to revise the scales of pay and conditions of service in respect of Development Officers of the Subsidiary Companies of General Insurance Corporation of India with effect from 1st April, 1995. The Scheme of Development Officers is being amended accordingly with effect from 1st April, 1995.

It is certified that no Development Officer of the Subsidiary Companies of the General Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

NOTE :— The principal scheme was published vide Notification No. S.O. 327(E) dated 29-4-1976 subsequently amended, by Notification No. S.O. 761 (E) dated 1-12-1976, S.O. 2444 dated 30-7-1977, S.O. 1048 dated 29-3-1978, S.O. 414 (E) dated 28-6-1978, S.O. 3430 dated 16-11-1978, S.O. 80 (E) dated 13-2-1987, S.O. 781 (E) dated 22-8-1988, S.O. 478 (E) dated 13-6-1990, S.O. 766 (E) dated 9-10-1990, S.O. 201 (E) dated 10-3-1992, S.O. 82 (E) dated 2-2-1994 and S.O. 593 (E) dated 30-6-1995.

1771 GI/96-3

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996